



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2011/श्रावण 13, 1933

No. 437]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2011/SRAVANA 13, 1933

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में मुख्य विनिधान अधिकारी, विनिधान प्रभाग, डाक जीवन बीमा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, डाक विभाग, मुख्य विनिधान अधिकारी, विनिधान प्रभाग, डाक जीवन बीमा निदेशालय, भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य विनिधान अधिकारी	2011 के लिए 01 * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित	एच.ए.जी., 67,000-79,000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)
------	------

प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) या संविदा या आमेलन :—
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों से फील्ड के ऐसे अधिकारी जो केवल आमेलन के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) या संविदा या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन जिसमें बैंककारी संस्थान या वित्तीय संस्थान सम्मिलित हैं, के ऐसे अधिकारी :—
(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या

(ii) जो वेतन बैंड-4, वेतनमान 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन 10,000 रु. में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष सेवा कर चुके हैं।

और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

आवश्यक :

(i) एम.बी.ए. (वित्त) या प्रबंधन (वित्त) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या केन्द्रीय वित्त विश्लेषक या चार्टर्ड अकाउंटेंट ;

(ii) संस्थागत विनिधान से संबंधित अठारह वर्ष का अनुभव या किसी संस्थागत विनिधान में सलाहकार।

वांछनीय :

मुख्य विनिधान बैंकर या प्रमाणित वित्तीय योजनाकार के रूप में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।

(11)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) या आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोग के लिए 1-1-2006 (वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्वपुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन में सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

लागू नहीं होता

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 1-26/2010-एस.पी.जी.]

सलीम हक, उप-महानिदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2011

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of a recruitment to the post of the Chief Investment Officer, Investment Division, Postal Life Insurance, in the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Department of Posts, Chief Investment Officer, Investment Division, Postal Life Insurance Directorate, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of posts, their classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in consultation with Union Public Service Commission with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Investment Officer	1* for (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted	HAG Rs. 67000-79000	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)	(11)
By Deputation (ISTC) or contract or absorption @ @Officers in the field from Central or State Government or Union Territories are only eligible for appointment to the post on absorption basis.	Deputation (ISTC) or contract or absorption Officers of the Central or State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutions or Public Sectors Undertakings or semi-governments or statutory or autonomous organizations including banking institutions or financial institutions :— (A)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With three years service rendered after appointment to the grade on regular basis in PB-4, scale of pay of Rs. 37400-67000 and Rs. 10000 grade pay. and (B) Possessing the following educational qualifications and experience :— Essential : (i) MBA (Finance) or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Central Financial Analyst or Chartered Accountant;

(11)

- (ii) Eighteen years experience in dealing with institutional investment or adviser on institutional investment.

Desirable :

Minimum three years working experience as Chief Investment banker or Certified Financial Planner.

Note 1 : Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of application.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation (ISTC) or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Not applicable

Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

[F.No. 1-26/2010-SPG]

SALIM HAQUE, Dy. Director General (Personnel)

2937 9/11-2